न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–92/2017/भीलवाड़ा (2017/00111)

1. नन्दा पुत्र छोगा, जाति गाडरी, निवासी सुरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. सुखा उर्फ सुखदेव पुत्र उदा, जाति गाडरी, निवासी सुरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
2. ग्राम पंचायत सुरास, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाड़ा दिनांक 13.6.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 10/2013.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 29.01.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, माण्डल (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.6.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरास में अवस्थित विवादित खाता संख्या 15 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार उदा पिता छोगा गाडरी था, खातेदार उदा का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामांतकरण संख्या 1499 दिनांक 21.1.2007 को ग्राम पंचायत सुरास ने विधिवत् जांच कर प्रार्थी के नाम स्वीकार करने का आदेश

पारित किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने आदेश दिनांक 13.6.2013 के द्वारा रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 1499 दिनांक 21.1.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार, माण्डल को प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, माण्डल ने प्रकरण को पुनः दर्ज कर रेस्पो0 संख्या 1 सुखा को स्व0 उदा का वारिस मानते हुए नामांतकरण संस्थित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया । तहसीलदार, माण्डल के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना कोई जांच किये अपीलांट के साथ रेस्पो0 संख्या 1 के हक में नामांतकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार, माण्डल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत सुरास ने विधिवत् जांच कर प्रार्थी/अपीलांट के हक में नामांतकरण संख्या 1499 दिनांक 21.1.2007 को स्वीकार किया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने 6 साल बाद मियाद बाहर अपील पेश की थी एवं इतने लंबे विलंब को क्षमा करने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं बताये जिससे रेस्पो0 संख्या 1 की उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील आदेश 41 नियम 3 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत मियाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय किये जाने योग्य थी किन्तु अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, माण्डल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी का मूल खातेदार छोगा था जिसके दो पुत्र उदा व अपीलांट नंदा हुए जिनमें उदा की शादी जमनी से हुई और उदा के जीवनकाल में जमनी ग्राम मण्डपिया में नाते चली गई और नाते से पश्चात्वर्ती उसके पति से रेस्पो0 संख्या 1 सुखा का जन्म हुआ था इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार छोगा की सम्पति में कोई हित निहित नहीं होने से उसको आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांट ने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के बावजूद तहसीलदार ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलांट विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर

प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 तहसीलदार, माण्डल का आदेश दिनांक 13.6.2017 को अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 1499 दिनांक 21.1.2007 को यथावत् रखा जावे। xx

4- अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21. 9.2017 को गांव में पटवारी द्वारा दी गई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 22. 9.2017 को माण्डल जाकर निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 26.9.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क कर अविलंब जानकारी से अंदर यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि के मूल खातेदार छोगा थे जिनके दो पुत्र अपीलांट नंदा एवं उदा थे । रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव उदा का पुत्र है । उदा की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 की माता जमनी अन्यंत्र नाते चली गई थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म उदा से हुआ था जिससे वह खातेदार छोगा की विरासत प्राप्त करने का अधिकारी है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में अधी0न्याया0 के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जाारी पहचान पत्र की छाया प्रति, ग्राम पंचायत सुरास द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की है जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 के पिता का नाम उदयलाल गाडरी अंकित है । स्वतंत्र गवाहों ने भी रेस्पो0 संख्या 1 को मृतक उदयलाल गाडरी का पुत्र होना बताया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया था किन्तु अपीलांट द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म अन्यंत्र नाते जाने के पश्चात् हुआ हो । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण तथ्यों की विस्तृत जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू पर गुणावगुण पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है ।

अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सुरास ने खातेदार छोगा की मृत्यु होने के उपरान्त विरासत नामांतकरण संख्या 1499 दिनांक 21.1.2007 को अपीलांट नंदा के पक्ष में तस्दीक किया था । उक्त नामांतकरण के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के न्यायालय में प्रथम अपील किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने निर्णय दिनांक 13.6.2017 द्वारा सुखा उर्फ सुखदेव/रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को प्रतिप्रेषित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवाद मृतक छोगा की सम्पति को लेकर है । अपीलांट का कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव मृतक उदयलाल गाडरी का पुत्र नहीं है, उदयलाल की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नि जमनी के अन्यंत्र नाते जाने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म हुआ है जिससे रेस्पो0 संख्या खातेदार छोगा का विधिक वारिसान नहीं है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार ने रेस्पो0 संख्या 1 सुखा का मृतक उदयलाल गाडरी का पुत्र होने के संबधं में विस्तृत जांच की है । तहसीलदार के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने दस्तावेजी साक्ष्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान की पत्र की छाया प्रति, ग्राम पचांयत सुरास द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 8 दिनांक 6.1.2014 की प्रति पेश की जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखलाल के पिता का नाम उदयलाल गाडरी अंकित है । इसी प्रकार तहसीलदार, भीलवाडा की और से जारी किया गया जाति प्रमाण व प्रार्थी सुखलाल की माता जमनी जो अन्यंत्र नाते जाने बाबत् लिखी गई लिखतम की छाया प्रति पेश की तथा उक्त लिखतम पर साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करने वाले स्वतंत्र व्यक्तियों दौला पिता मगना गाडरी, देवा पिता गोमा गाडरी के शपथ पत्र पेश किये जिन्होंने रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव को उदयलाल गाडरी का पुत्र होना अंकित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि के स्वतंत्र गवाह कालू पिता केला भाट, पारस पिता सोहन मोगरा ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिसमें यह स्वीकार किया है कि खातेदार छोगा के दो पुत्र नंदा व उदा थे, जिसमें उदा की मृत्यु हो गई थी तथा उदा की पत्नि जमनी अन्यंत्र नाते चली गई थी किन्तु नाते जाते समय उसकी गोद में रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव था जो उदा के नुत्फे से ही पैदा हुआ था । अधी0न्याया0 के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव उदा का पुत्र न होकर उसके नातायत पिता की संतान हो । रेस्पो0 संख्या 1 सुखा उर्फ सुखदेव उदा के नुत्फे से उत्पन्न होने से मृतक खातेदार छोगा का विधिक वारिसान है । तहसीलदार, माण्डल ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं

विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 तहसीलदार, माण्डल का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

8- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 92/2017 (2017/00111) बउनवानी नन्दा बनाम सुखा उर्फ सुखदेव को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, माण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 10/2013 बउनवान सुखा उर्फ सुखदेव बनाम नन्दा में पारित निर्णय दिनांक 13.6.2017 को यथवत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

9- आदेश आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.05 17:38:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: